

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.1(2)न्याय/2016

जयपुर, दिनांक 05 MAY 2016

:: अधिसूचना ::

मोटर यान अधिनियम, 1988 (सन् 1988 के केन्द्रीय अधिनियम संख्या-59) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से निम्नलिखित अपर जिला न्यायालयों को मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों के रूप में गठित करती है तथा उक्त न्यायालयों के पीठासीन अधिकारियों को उनके अधिकरण का पीठासीन अधिकारी भी नियुक्त करती है। इन मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का क्षेत्राधिकार उनके न्यायालय की स्थानीय सीमाओं के अनुसार निर्धारित किया जाता है।

क्र०सं०	अधिकरण का नाम	बैठक का स्थान
1	2	3
1.	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कामां जिला भरतपुर	कामां
2.	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, सागवाड़ा जिला डूंगरपुर	सागवाड़ा
3.	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, भवानीमण्डी जिला झालावाड़	भवानीमण्डी
4.	अपर जिला न्यायाधीश एवं मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, चुरू शिविर सरदारशहर	चुरू एवं सरदारशहर

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार व्यास)
(मनोज कुमार व्यास)
प्रमुख शासन सचिव

RAJASTHAN HIGH COURT, JODHPUR.

No. Gen./II/2016(S)/720

Dated : 25/05/2016

Copy forwarded to following for information & necessary action:-

- 1.All Registrar, Rajasthan High Court, Jodhpur/ Jaipur Bench, Jaipur. Registrar (Classification)/CPC, RJC, Jodhpur with a request to upload the same at Rajasthan High Court website.
- 2.District and Session Judge, Bharatpur/ Dunglepur/ Jhalawar/ Churu.
- 3.ADJ Kaman/ Sagwara/ Bhawanimandi/ Churu/ camp Sardarshahar.
- 4.Administrative Officer Judicial, Confidential/ RJS (Estt.) Section, Subordinate (Estt.) Section, Statistics Section, Building, Budget, computer cell (for update & mail to concerned DJ), Rajasthan High Court, Jodhpur.

716/25.5.16
REGISTRAR (RULES)

729
28/5/16